राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक—: प्र.श.के.सं / 2021—22 / 3 दिनांक :— 22/9/2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर 2021 से आयोजित प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल स्तर से निम्नलिखित कार्य निष्पादित किये जाने हैं :—

1. नाम हस्तान्तरण
2 अपंजीकृत पट्टों को पुर्नवेंध कर पंजीकरण कराना
3 कालॉनियों में सडक मरम्मत
4 स्ट्रीट लाईट विस्तार / सुधार
5 आवंटन पत्र जारी करना
6 आवंटियों की बकाया राशि की जानकारी देना
7 धरोहर राशि (सिक्योरिटी डिपोजिट) लौटाना
8 पट्टा जारी करना
9 अदेयता प्रमाण पत्र जारी करना
10 भवन निर्माण अवधि विस्तार
11 आवंटी / आवेदकों को रिफण्ड करना
12 एकमुश्त लीज मुक्ति प्रमाण पत्र
13 पता परिवर्तन
14 आय वर्ग परिवर्तन
15 अर्नेस्ट मनी रिफण्ड
16 संवेदको का पंजीकरण
17 भवन मानचित्र (पंजीयन हेतु)
18 भूखण्डों का उपविभाजन / पुनर्गठन
19 सम्पत्तियों का पंजीयन
20 नियमितीकरण प्रकरण
21 किराया क्रय पद्धति से नकद भुगतान पद्धति में परिवर्तन
22 भवन निर्माण के नक्शों का अनुमोदन

क्रम संख्या 1 से 9 पर अंकित कार्य की मॉनिटरिंग राज्य सरकार के पोर्टल के माध्यम से की जावेगी एवं शेष कार्यो हेतु संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) द्वारा गूगल शीट उपलब्ध कराई जायेगी जिस पर प्रत्येक दिन निस्तारित किये प्रकरणों की सूचना मुख्यालय को प्रेषित करनी होगी। इस सूचना का संकलन एवं संधारण उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय) द्वारा किया जायेगा।

आवासन मण्डल मुख्यालय, समस्त उप आवासन आयुक्त कार्यालय एवं समस्त खण्ड कार्यालयों पर निश्चित तिथियों पर प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक कैम्प का आयोजन किया जायेगा।

सभी उप आवासन आयुक्त कार्यालय एवं स्वतंत्र खण्ड कार्यालय में हेल्प डेस्क लगाकर कैम्प के अन्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले कार्यो से संबंधित आवेदन प्रपत्र/प्रोफार्मा उपलब्ध करवायेंगे एवं मण्डल में वर्तमान में संचालित योजनाओं के बारे में भी सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवायेंगे। कैम्प समय में आगन्तुकों के बैठने एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करावे।

सहायक निदेशक, जनसम्पर्क को निर्देशित किया जाता है कि कैम्प आयोजन स्थल पर प्रशासन शहरों के संग कार्यक्रम से संबंधित कार्यो की जानकारी एवं मण्डल की वर्तमान योजनाओं से संबंधित जानकारी इत्यादि के बैनर, पोस्टर बनवाकर सभी कैम्प आयोजन स्थल पर उपलब्ध करवायेंगे।

मण्डल की वेबसाईट के Home Page पर प्रशासन शहरों के संग का लिंक उपलब्ध है। लिंक पर क्लिक करते ही उपर दिये गये सभी 22 कार्यो से संबंधित आवेदन पत्र एवं प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी के साथ–साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की पूरी जानकारी उपलब्ध हो जायेगी ताकि आमजन को प्रशासन शहरो के संग अभियान के दौरान राजस्थान आवासन मण्डल में अपने कार्य करवाने में सुविधा होगी।

राज्य के नगरीय क्षेत्रों हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा एक मोबाईल ऐप्प "RHB आवास" तैयार किया गया है जिसके माध्यम से विभिन्न शहरों पर किस–किस श्रेणी के आवास की आवश्यकता है, के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। मोबाईल ऐप्प पर प्राप्त फीडबैक के आधार पर आवासन मण्डल की आगामी योजनाएं बनाई जा सकेंगी।

राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान जारी किए जाने वाले पट्टा इत्यादि पर राज्य सरकार के परिपत्रानुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय की फोटो एवं अभियान के लोगो सहित जारी किए जायेंगे।

सभी प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि कैम्प के दौरान सम्पादित किये जाने वाले कार्यो से संबंधित लम्बित कार्य पहले से ही सूचीबद्ध कर अभियान के दौरान समस्त कार्यो का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करेंगे। प्रतिदिन सम्पादित कार्यो की सूचना मुख्यालय स्थित नियंत्रण प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जाना भी सुनिश्चित करेंगे।

(संचिता बिश्नोई)
सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता–मु./I/II, रा.आ.मं, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वि.स. एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा.आ.मं, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता............................रा.आ.मं......................।
4. निदेशक विधि/मुख्य संपदा प्रबन्धक/अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक/उप सचिव/विशेषाधिकारी (भूमि)/संपदा प्रबन्धक (मुख्यालय/भूमि), रा.आ.मं, जयपुर।
5. प्रान्तीय अध्यक्ष, राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ, जयपुर।
6. समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत–.................... रा.आ.मं,...............................।
7. समस्त आवासीय अभियन्ता, खण्ड–.................... रा.आ.मं,...............................।
8. समस्त प्रकोष्ठ मुख्यालय–.................... रा.आ.मं,...............................।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

22/9/2021

वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक